Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol.VI, Issue-IV December 2020

भारत में नशाखोरी की समस्या- अपराध और निदान

जितेन्द्र सिंह महदौरिया*

सारांश

नशे का प्रयोग भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित है, नशे का प्रचलन प्राचीनकाल से चला आ रहा है और आज भी प्रचलित है। प्राचीनकाल में नशे का प्रयोग राजा- महाराजा आनन्द के लिए किया करते थे, लेकिन धीरे- धीरे नशे ने एक बुराई का रूप धारण कर लिया और आज के युवा नशे के आदी होते चले जा रहें हैं। आज के युवा अपनी भारतीय संस्कृति को छोडकर पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागते हैं। नशाखोरी भी इसी का एक उदाहरण है। भारत में अफीम, गाँजा, और भाँग के प्रयोग को पहले से ही धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त थी परन्तु इनका प्रयोग केवल अधेड़ और बड़े- बूढ़ो द्वारा ही किया जा सकता था। यह भी जानते है कि पुराने समय में माताओं द्वारा नवजात शिशुओं को अफीम- मिश्रत बालघुटी पिलाकर सुलाने की परिपाटी थी। वे ऐसा करना शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद समझती थी। तथापि आज नशाखोरी इस सीमा तक पहुँच चुकी हैं कि प्राय: सभी वर्ग जैसे पत्रकार, राजनीतिज्ञ, शिक्षाशास्त्री, समाज सुधारक इस बुराई के प्रति चिंतित हैं। कॉलेजों और स्कूलों में तो यह लत विषैले जहर की तरह फैल चुकी है। जिस पर रोक लगाना अत्यावश्यक है।

बीजक शब्द: व्यक्ति, ड्रग्स, नशाखोरी

'राज्य को नशामुक्त बनाओं
जन-जन को खुशहाल बनाओं'
'नशा कोऊ मति करियो भैया
नशाबाज की बीच भंवर में डूब जाए नैया'
'दूध पिओ पऊआ नहीं
हंस बनो कऊआ नहीं '

प्रस्तावना

जिन व्यक्तियों का शरीर और मन स्वस्थ्य है वे इतना अधिक नशा नहीं करतें है कि स्वयं पर नियंत्रण खो बैठें। लोग नशा और धूम्रपान करने को शान समझते हैं, नशे के लिए बाजार में बहुत सी नशीली वस्तुऐं बेची जाती हैं जैसे- शराब, सिगरेट, चरस, गाँजा, भाँग, अफीम, आदी। आज की युवा पीढ़ी इन नशे के रूपों के जाल में भी फस गई है। नशीले पदार्थ मादक और उत्तेजक होते हैं उनका प्रयोग करने से व्यक्ति अपनी स्मृति और संवेदनशीलता अस्थायी रूप में खो देता है साथ ही वह अपना मान सम्मान भी खो देता है जिससे पारिवारिक शांति भी भंग होती है।

नशाखोरी युवा वर्ग में पनपने वाली एक ऐसी बुराई है, जो ग्राम स्तर से लेकर महानगरों तक फैली हुई है। आज का युवा वर्ग भ्रमित है और वह अपनी समस्याओं से जब छुटकारा नहीं पाता तो वह उन्हें भूलने के लिए 'नशाखोरी' करने लगता है। मादक पदार्थों के नियमित (बार- बार) सेवन को नशाखोरी कहा जाता है। जब कोई

* बी.एससी., एम.ए., एलएल.एम., पीजीडीसीए, एमपी. सेट

व्यक्ति किसी मादक पदार्थ का प्रतिदिन नियमित सेवन करता है, तो वह उसका आदी हो जाता है तथा उस नशे के अभाव में उसका मानसिक, शारीरिक, सन्तुलन भी डगमगा जाता है। जब कोई व्यक्ति बार- बार कोई मादक पदार्थ लेने का आदी हो जाता है, तो इसे नशाखोरी कहते हैं।

पश्चिमी सभ्यता ने हमारे देश को किस तरह अपनी ओर आकर्षित किया है, इससे सभी भली-भांति परिचित हैं। इसकी ओर देश के युवा सबसे अधिक आकर्षित होते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को छोडकर पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागतें हैं। नशाखोरी भी इसी का एक उदाहरण है। भारत देश की मुख्य समस्याओं में से एक युवाओं में फलती नशाखोरी भी है। देश की जनसंख्या आज 135 करोड के पार होने जा रही है, इस जनसंख्या का एक बडा भाग युवा वर्ग का है। नशा एक ऐसी समस्या है जिससे नशा करने वाले के साथ- साथ उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है और अगर परिवार बर्बाद होगा तो समाज नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, तो देश भी बिखरता चला जायेगा। इन्सान को इस दल- दल में एक कदम रखने की देरी होती है, जहाँ आपने एक कदम रखा फिर आप मजे के चलते इसके आदी हो जायेगें और दल- दल में धसकतें चले जायेगें, नशे के आदी इन्सान चाहे तब भी इसे नहीं छोड पाता। क्योकि उसे तलब पड जाती है और फिर तलब ही उसे नशा की ओर और बढाती है **'नशा नाश'** है।

नशा के प्रकार

नशा कई तरह का होता है जिसमें- शराब, सिगरेट, अफीम, गांजा, हेरोइन, कोकीन, चरस, भांग, ताड़ी, मेथाडीन, पेथाडीन, केनेबिस पौधे का रस, कोका की पत्ती मार्फीन, स्मैक आदी मुख्य हैं। नशा एक ऐसी आदत है। जो किसी इन्सान को पड़ जाये तो उसे दीमक की तरह अन्दर से खोखला बना देती है। उसे शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से बर्बाद कर देती है जहरीले और नशीले पदार्थ का सेवन इन्सान को बर्बादी की ओर ले जाता है। आजकल नशे के आदी छोटे बच्चे भी हो रहे हैं। युवाओं के साथ- साथ बडे बुजुर्ग भी इसकी गिरफ्त में है, लेकिन सबसे अधिक ये युवा पीढी को प्रभावित कर रहा है। युवा पीढी के अन्दर सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी आती है। नशा करने वाला व्यक्ति घर, देश समाज के लिए बोझ बन जाता है। जिसे सब नीच दृष्टि से देखतें हैं, नशा करने वाले व्यक्ति का न कोई भविष्य होता है न वर्तमान। उसके अन्त में भी लोग दु:खी नहीं होते हैं। देश में जो आज आतंकवाद, नक्सलवाद, बेरोजगारी की समस्या फैल रही है। इसका जिम्मेदार कुछ हद तक नशा ही है। नशे के चलते इन्सान अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाता और गलत राह में चलने लगता है। नशे में सर्वाधिक प्रचलन शराब का है, शराब भी दो प्रकार की होती है- देशी शराब और विदेशी शराब।

देशी शराब का सेवन मजदूर एवं निम्न आर्थिक स्तर वाले वाले लोग करते हैं क्योंकि यह कम दामों में उपलब्ध हो जाती है। जबकि विदेशी मदिरा का सेवन अपेक्षाकृत अधिक आय वाले मध्यवर्ग एवं उच्च वर्ग के लोग करते हैं। भांग का सेवन प्राय: वर्ग विशेष के लोग पण्डे, पुरोहित आदी भगवान शंकर का प्रसाद मानकर करते हैं। भांग की तरंग में वे अपनी चिन्ताओं को भूलकर दीन- दुखियों से बेखबर बने रहते हैं।

तम्बाकू मुक्ति दिवस व विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है?

देश के लोगों को नशे से मुक्ति के लिए जागरूक करने व देश के युवा वर्ग को उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराने के लिए हर वर्ष देश मे 31 मई को तम्बाकू मुक्ति दिवस व विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है।

नशाखोरी का समाज में फैलने का कारण

व्यक्ति को नशे की लत पड़ने के अनेक कारण हैं अधिकतर व्यक्ति बुरी संगत के कारण या शौक के रूप में इसकी शुरूआत करता है और धीरे- धीरे इसका इतना अभ्यस्त हो जाता है कि इसके सिवाय उसका जीवन दूभर हो जाता है। वर्तमान में नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती प्रवृति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

1. आधुनिकीकरण, शहरीकरण, और औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप जीवन के तरीके में परिवर्तन हुआ है, और सामाजिक बंधनो का शिथिलीकरण हुआ है।
2. माता- पिता का अपने बच्चों पर से नियंत्रण हट चुका है जिसके कारण बच्चों में अनुशासनहीं नता बढ़ी है। कामकाजी महिलाओं को भी पुरूषों की भांति अधिकांश समय घर से बाहर रहने के कारण वे बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। बच्चों में बुरी आदतें और नशे की लत पड़ने का भी एक कारण है।
3. वर्तमान समय में चिकित्सा- जगत में इतनी प्रगति हुई है कि अनेक प्रकार के संश्लेषात्मक पदार्थों का उत्पादन हो रहा है। जिनका उत्तेजक औषधि के रूप में सेवन किया जाता है। इसके कारण भी नशाखोरी की लत को बढ़ाबा मिला है।
4. अपनी वेदना या दर्द को भुलाने के लिए लोग प्राय: नशीले पदार्थों का सेवन करतें हैं और एक बार इसे शुरू करने पर वह उनकी आदत बन जाती है जिससे छुटकारा पाना उनके लिए कठिन होता है।
5. कार्य में असफलता, निराशा, मानसिक तनाव, असहनीय दु:ख जीवन की तकलीफों से ऊबकर भी अनेक लोग इन्हें भुलाने के लिए नशीली वस्तुओं का सेवन करतें हैं और धीरे- धीरे इसके आदी हो जाते हैं।
6. भारतीय पढ़े- लिखे युवक और युवतियों का संस्कृति के प्रति लगाव दिनो- दिन बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण वे नशे के सेवन का शिकार होते जा रहे हैं। वे इन वस्तुओं के सेवन से आनन्द अनुभव करतें हैं।
7. माता- पिता और बच्चों में आवश्यक संम्पर्क अभाव के कारण बच्चों को नशीले पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों और नुकसान की समय रहते जानकारी नहीं मिल पाती। जिसके अभाव में वे इन वस्तुओं के नशे के शिकार हो जाते हैं।[1]
8. डेविड ड्रेसलर ने मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के बारे में लिखा है कि ये लोग जाने-अनजाने में औषधि के रूप में या नींद के लिए इनका प्रयोग प्रारम्भ करतें हैं, और इसके आदी हो जाते हैं। इसी प्रकार पारिवारिक झंझटों या दिमागी तनाव को दूर करने के लिए भी इन वस्तुओं का सेवन किया जाता है।[2] ऐसे व्यक्ति जीवन की वास्तिवकताओं को भुलाकर काल्पनिक जगत में विचरना अधिक पसन्द करते हैं। नशाखोरी की आदत एक बार पड़ जाने के बाद उससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है।

[1] अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन डॉ० ना०वि० परांजपे प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107 - दरभंगा कॉलोनी , इलाहाबाद पेज 153 - 154

[2] डेविड ड्रेसलर : रीडिग्ज इन क्रिमिनोलॉजी एण्ड पेनोलॉजी , (1966) पृ० 103

9. शिक्षा की कमी होने से देश में शिक्षा की कमी की समस्या आज भी व्याप्त है। सरकार इसकी ओर कड़े कदम उठा रही है। शिक्षा का मतलब हमारे जीवन में बहुत है लेकिन कई लोग इसे नहीं समझते हैं और शिक्षा की कमी के चलते कई दुष्प्रभाव सामने आते हैं। जो लोग कम पढ़े- लिखे होतें हैं। वे इसके दुष्प्रभाव को नहीं समझते हैं और इसकी चपेट में आ जातें हैं। गाँव में कम पढ़े- लिखे लोग कई तरह के नशा करते हैं। जिससे उनका परिवार तक नष्ट हो जाता है।
10. हम व हमारे देश की सरकार नशे के दुष्परिणाम को जानते हैं लेकिन फिर भी इसकी बिक्री खुलेआम होती है। नशे के पदार्थ आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं। जिससे इसे देख कर भी लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं।
11. स्कूल के बच्चों में ये नशाखोरी संगति के चलते फैलती है। कम उम्र में ये बच्चे भटक जाते हैं और ऐसे लोगो के साथ संगति करते हैं जो नशे को अपना जीवन समझते हैं। बच्चों के अलावा युवाओं को भी कई बार संगति ही बिगाड़ती है। युवा पीढ़ी के कई ऐसे दोस्त होते हैं। जो नशा करते हैं और देखा देखी में भी इसे करने लगते हैं। जो लोग इस नशे को करते हैं, वे अपने साथ वालों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करते हैं।
12. नशे को कुछ लोग आधुनिकता का माध्यम मानते हैं। उनका मानना होता है कि नशा करने से लोग उन्हें एडवांस समझेंगे और उनकी वाह- वाही होगी। नशे को अमीरों की शान भी माना जाता है। उन्हें लगता है नशा करने से हमारा रूतवा सबको दिखेगा। जो व्यक्ति शिक्षित है वो भी नशे से दूर नहीं है। उनका मानना है कि नशा करने से उनकी बुद्धि, याददाश्त और आंतरिक शक्ति में विकास होता है।
13. पाश्चात्य सभ्यता में मादक पदार्थ को सामाजिक रूप से स्वीकारा गया है। जिससे यहाँ खुलेआम लोग इसे लेते हैं और इसकी खपत भी अधिक होती है इसे देख देख हमारे देश के युवा अपने आप को पाश्चात्य संस्कृति में ढालने के लिए नशे को अपनाते हैं। उनका मानना होता है नशा उन्हें पाश्चात्य बनाएगा।
14. हमारे सिनेमा जगत का नशाखोरी फैलाने में बहुत बडा हाथ है। टी.वी. फिल्मों में खुलेआम शराब, सिगरेट, गुटखा खाते हुए लोगो को दिखाया जाता है। जिससे आम जनता विशेषकर बच्चे और युवा प्रभावित होते हैं और उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं। टी.वी. पर तो इसके बडे- बडे विज्ञापन भी आते हैं। जिस पर हमारे देश की सरकार भी कोई कदम नहीं उठा रही है। युवा पीढ़ी टी.वी. पर देखती है कि कैसे किसी का दिल टूटने पर जब गर्लफ्रेन्ड या पत्नी छोड़कर चली जाती है तो हीरो शराब पीने लगता है। बस वो भी इसे देख अपने जीवन में उतार लेता है। गर्लफ्रेन्ड से ब्रेकअप होने पर वो भी देवदास बन शराब पीने लगता है।
15. किसी तरह की पारिवारिक समस्या के कारण भी इन्सान नशे का आदी हो जाता है। अपने गम को भुलाने के लिए इन्सान नशा करने लगता है लेकिन वो नशे के द्वारा दूसरी समस्या को बुलावा दे देता है। बेरोजगारी, गरीबी, कोई बीमारी या किसी पारिवारिक समस्या के चलते इन्सान नशे की ओर रूख करता है। मूड़ को बदलने के लिए भी लोग नशा करना पसंद करते हैं। उनके हिसाब से नशा करने के बाद उन्हें अपने सुख की अनुभूति होती है।

युवा वर्ग में नशाखोरी

युवा वर्ग में नशाखोरी का प्रचलन पिछले कुछ दशकों में बहुत बढ़ा है। विशेष रूप से स्कूल- कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के छात्र- छात्राऐं स्मैक, कोकीन, एवं हेरोइन का नशा करते हैं। यह नशा इन्जेक्शन से भी लिया जाता है और मुख से भी। इस नशे की लत से छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। एक बार जो इस नशे के चंगुल में फंस गया उसका जीवन बर्बाद हो जाता है तथा उसे असमय ही मुत्यु के मुख में जाना पड़ता है। इस प्रकार के नशे बहुत खर्चीले भी हैं। जिसकी पूर्ति के लिए ये छात्र चोरी, डकैती, बैंक लूटने जैसी शर्मनाक घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं।

नशाखोरी का युवाओं पर दुष्परिणाम

1. गरीबी बढ़ती है- देश में कई ऐसे परिवार हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए रोते हैं उन्हें बिना खाना खाए सोना पड़ता है। नशा का आदी इन्सान भले ही खाना न खाये लेकिन उसके लिए नशा बहुत जरूरी है। वह अपनी दिनभर की कमाई नशे में गवां देता है। यहाँ तक नहीं सोचता कि उसके बच्चे भूखे हैं। जो इन्सान पैसा नहीं कमाता अपने घर के पैसों को इस नशे में लगा देता है। जिससे घर के दूसरे लोगो के लिए समस्या खडी हो जाती है, रोज- रोज के इस खर्चे से घर में गरीबी आने लगती है और घर में खाने पीने तक की समस्या हो जाती है।
2. घरेलू हिंसा को बुलावा- नशा करने वाला इन्सान अपना आपा खो देता है उसे याद नहीं होता है वो कहाँ है, क्या कर रहा है, नशा वाला इन्सान घरेलू हिंसा को दावत देता है, वो अपने घर में अपनी बीबी, बच्चों को मारने लगता है जिससे घर में हमेशा ग्रह क्लेश बना रहता है।
3. अपराधी बना देता है- नशा एक अपराध से कम नहीं है और नशा वाला इन्सान नशे की तलब को पूरा करने के लिए चोरी, लूट, डकैती, अपहरण आदि करने लगता है और छोटे- छोटे अपराध कब बड़े अपराध में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अफीम, चरस, कोकीन का नशा लेने के बाद इन्सान के अन्दर उत्तेजना आ जाती है जिससे वो अपने काबू में नहीं रहता है और इस नशे के बाद इन्सान चोरी, मृत्यु, हिंसा लड़ाई- झगडों बलात्कार कामों को अंजाम देता है, जो उसे एक बड़ा अपराधी बना देता है।
4. भविष्य नष्ट होता है- नशेबाज को नशे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, मैंने ऐसे कई किस्से सुने हैं जहाँ नशे ने अच्छे खासे बने बनाये इन्सान को बर्बाद कर दिया है नशा का आदी इन्सान अपना भविष्य नष्ट कर लेता है, उसे उससे कोई लेना देना नहीं होता है।
5. स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या- नशा की लगातार लत से शरीर नष्ट हो जाता है, तम्बाकू, सिगरेट, शराब अधिक पीने से शरीर में फेंफड़े, गुर्दा, दिल और न जाने क्या- क्या खराब होने लगता है, हम सबको पता है, धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी हम इसके आदी हो जाते हैं। धूम्रपान का धुँआ अगर सामने वाले व्यक्ति के शरीर में भी जाता है, तो उसे नुकसान पहुचता है। इसी तरह गुटखा जिस पर लिखा भी होता है कि इसे खाने से स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या होती हैं। फिर भी लोग मजे से इसे खाते हैं मुँह का कैन्सर, गले का कैन्सर सब नशे के कारण होते हैं। नशा करने से व्यक्ति की उम्र घटती जाती है और ये कई शोध के द्वारा प्रमाणित हो चुका है।

6. **परिवार टूट जाते हैं-** नशेबाज इन्सान अपने परिवार से ज्यादा अपने नशे को तबज्जो देते हैं, जिससे परिवार टूट जाते हैं, नशाखोरी आज के समय में परिवार बिखरने की सबसे बड़ी वजह है नशे के चलते पति- पत्नी में अक्सर झगड़े बढ़ते हैं जिसका असर बच्चों पर भी होता है कई बार तो ये बच्चे बड़े होकर अपने बड़ो की तरह ही काम करते हैं और नशे को अपना लेते हैं।
7. अलग- अलग नशा पदार्थ अलग- अलग नुकसान देते हैं शराब पीने से लीवर, पेट खराब होता है और लीवर कैन्सर भी होता है गुटखा खाने से मुँह में कैंसर, अल्सर की परेशानी होती है, गांजा, भांग से इन्सान का दिमाग खराब होने लगता है, इससे वो पागल भी हो सकता है।
8. नशा एक ऐसी समस्या है जो दूसरी समस्या को न्योता देती है। इससे गरीबी आती है, बेरोजगारी, आतंकवाद फैलता है देश में आतंकवादियों की संख्या बढ़ने लगती है।

मादक पदार्थ का सेवन इन्सान को घटक से घटक बना देता है वो अपनी तलब को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमारे देश की सरकार इस बड़ी समस्या की ओर उतनी नजर नहीं रख रही है, जितनी उसे रखनी चाहिए सरकार को नशामुक्ति के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।

- सरकार को खुलेआम मादक पदार्थ का सेवन पूरी तरह से बन्द कर देना चाहिए।
- सिनेमा, टी.वी. में इसके प्रयोग को वर्जित करना चाहिए।
- नशाखोरी की समस्या के बारे में लोगो को बताने के लिए कैम्प, सभा, आदि आयोजित करनी चाहिए गाँव, शहर सभी जगह लोगो को इस समस्या के बारे में खुलकर बताना चाहिए।
- नशाखोरी सिर्फ भारत देश की ही नहीं पूरे विश्व की समस्या है तो इससे निपटने के लिए सभी देशों को इकठ्ठे होकर काम करना चाहिए।
- नशमुक्ति केन्द्र, समझाइस कार्यालय अधिक से अधिक खोले जाने चाहिए।

नशाखोरी के दुष्परिणाम

नशाखोरी जैसे सामाजिक अभिशाप से जहाँ समाज में अनेक प्रकार की बुराइयाँ जन्म लेती हैं वहीं अपराध बढ़तें है तथा सामाजिक व्यवस्था चरमराने लगती है, अत: कल्याणकारी राज्य में सरकार का यह दायित्व बनता हैकि वह नशाखोरी की प्रवृति पर अंकुश लगाए।

भारत में कई राज्यों में पूर्ण नशाबन्दी प्रचलित है किन्तु अनेक राज्य अपने यहाँ नशाबन्दी लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह उनके राजस्व का प्रमुख स्रोत है।

प्रतिबर्ष अरबों रूपये सरकार को शराब की दुकानों के ठेके उठाने से प्राप्त होता है, इस आशय के मोह को जब तक नहीं छोड़ा जायेगा तब तक नशाबन्दी सम्भव नहीं है। नशा करने से व्यक्ति का विवेक कुंठित हो जाता है और उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता परिणामत: वह समाज विरोधी एवं अनैतिक कार्य करने में संकोच नहीं करता है।

नशा करने वाले वे लोग जो निम्न एवं मध्यम वर्ग के हैं। अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग नशे पर व्यय कर देते हैं। परिणामत: उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिवारीजनो में कलह रहती है और सारा परिवार इसके दुष्परिणाम झेलता हुआ तनावग्रस्त रहता है।

नशा करने से अनेक प्रकार के रोग भी शरीर में घर बना लेते हैं इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा कुछ नशे तो व्यक्ति को मृत्यु के मुख तक पहुंचा देते हैं।

शराब के सेवन से लाखों परिवार बर्बाद हो जाते हैं। कम आमदनी वाले परिवारों में ग्रह कलह का मूल कारण शराब ही है। ऐसे घरों में दो वक्त की रोटी भी बच्चों को नसीब नहीं होती है और घर का कर्ता- धर्ता अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च कर देता है। बड़े घरों के सपूत पिता की कमाई को क्लबों एवं होटलों में शराब की पार्टियाँ देकर उड़ा रहे हैं। असमय ही अनेक रोगों से ग्रस्त ये नवयुवक नशाखोरी की लत के कारण अनेक अपराधों में लिप्त हो जाते हैं।[3]

पंजाब में जहरीली शराब से अब तक 104 की मौत

50 वर्ष की बलविन्दर कौर को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया है, बलविन्दर के पति की भी मौत हुई है और कहा जा रहा है कि वो भी इसी त्रासदी के शिकार हुए हैं। पंजाब में जहरीली शराब के पीने से अब तक 104 लोगों की मोत हो चुकी है, नकली शराब पीने से होने वाली मौतों में यह राज्य की सबसे बड़ी त्रासदी है, पंजाब के तीन सीमाई जिले अमृतसर, गुरूदासपुर, और तरनतारन में यह त्रासदी घटित हुई है पूरे मामले में पंजाब की सरकार ने एक्साइज और टेक्शेसन विभाग के कम से कम सात कर्मियों को निलंबित किया है, इसके अलाबा पंजाब पुलिस के सात कर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही के मामले में निलंबित किया गया है।

पंजाब में नकली शराब से 38 और आन्ध्रप्रदेश में सैनेटाइजर पीने से 10 लोगों की मौत

अमृतसर के मुछल गाँव के पूर्व सरपंच सुखवीर सिंह के चचेरे भाई जसविन्दर सिंह की भी मौत हुई है। उन्होनें बीबीसी पंजाबी के रविन्दर सिंह रॉबिन से कहा कि अबैध शराब और कारोबार के बीच बहुत ही मजबूत गठजोड़ है। जसविन्दर सिंह की पत्नी वीरपाल कौर कहती हैं कि उनके पति जब घर आए तो उनकी आँखे जल रही थी और सीने में दर्द था इसके बाद उनके मुँह से झाग निकला और अस्पताल में ले जाने के बाद मौत हो गई।[4]

अवैध शराब के अड्डों पर पुलिस का छापा, 9 लाख की शराब बरामद

ग्वालियर उपचुनाव के लिए आचार संहिता लगते ही अवैध शराब पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार रात से लेकर रविवार दोपहर तक पुलिस ने हजीरा और पनिहार में अवैध शराब के अड्डों पर छापा मारा। हजीरा में श्याम बाबा के मन्दिर के पीछे स्थित कबाड़े के गोदाम में कुछ लोग अवैध शराब बना रहे थे। टीम ने यहाँ देर रात दबिश दी तो यहाँ जमीन में ड्रम गढ़े हुए मिले यहाँ ओपी भी बरामद हुई। ओपी के अलाबा करीब 300 लीटर अवैध शराब यहाँ से मिली यहाँ पर शराब भरी मिली कार में लोगों को गिरफ्तार किया। यहाँ से बरामद शराब की कीमत करीब 7 लाख रूपये बताई गई है। वहीं एक टीम ने कंजरों के डेरे पर छापा मार कर जमीन में गढ़े 17 ड्रमों में अवैध शराब भरी मिली। यहाँ से 1060 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रूपये बताई गई है। इसी तरह स्मैक तस्कर को मुरार पुलिस ने सुदामापुरी से पकड़ा हैं, इसके पास से करीब 50 हजार रूपये कीमत की स्मैक बरामद हुई है।[5]

आबकारी टीमों ने की छापामार कार्रवाई

आबकारी विभाग की टीमों ने शनिवार को शहर और आसपास सौजना में बनाई जा रही अवैध शराब न सिर्फ नष्ट की बल्कि आरोपियों पर केस भी दर्ज किया। यहाँ से 150 कि.ग्रा.गुड लहान एवं 40 लीटर अवैध शराब नष्ट की। तालपुरा गाँव में 42 लीटर शराब नष्ट की और दो लोगों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया सहायक आयुक्त के मुताबिक अवैध शराब बेचने और बनाने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।[6]

---

[3] बी.बी.सी.न्यूज

[4] बी.बी.सी.न्यूज

[5] समाचार पत्र ; दैनिक भास्कर दिन सोमवार, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 पेज नं० 03

[6] समाचार पत्र ; दैनिक भास्कर, ग्वालियर, रविवार, दिनांक 04 अक्टूबर, 2020, पेज नं० 07

मणिपुर ड्रग्स माफिया की गिरफ्तारी और महिला पुलिस ऑफीसर पर मुख्यमंत्री के दबाब की कहानी

मणिपुर में एक महिला पुलिस अधिकारी ने मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह और सत्ताधारी भाजपा के एक शीर्ष नेता पर गिरफ्तार ड्रग्स माफिया को छोड़ने के लिए उन पर दबाब डालने का आरोप लगाया है।

ये आरोप इसलिए गम्भीर है क्योंकि मणिपुर पुलिस सेवा की अधिकारी थौना ओजम बृंदा ने ये सारी बातें 13 जुलाई को मणिपुर उच्च न्यायालय में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कही है। दरअसल राज्य के नारकोटिक्स एण्ड अफेयर्स ऑफ बार्डर ब्यूरो में तैनाती के दौरान थौना ओजम बृंदा ने 19 जून 2018 को लुहखोसेई जोउ नामक एक हाई प्रोफाइल ड्रग माफिया को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने ड्रग्स माफिया लुहखोसेई जोउ समेत कुल सात लोगों को करीब 28 करोड़ रूपये से अधिक कीमती के अवैध नशीले पदार्थों और नकदी के साथ पकड़ा था। उन्होनें कहा है कि हमें उनके खिलाफ सारे सबूत मिले थे हमारी टीम ने छापेमारी के दौरान लुहखोसेई जोउ के पास से 4.595 किलो हेरोइन पाउडर 2,80,2000 वर्ल्ड इज योर्स नाम की नशीली टैबलेट और 57 लाख 18 हजार नगदी बरामद किये थे इसके अलावा हमने 95 हजार के पुराने नोट समेत कई आपत्ति जनक सामग्रियाँ बरामद किए थे छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से जब ड्रग्स बरामद हुई तो पहले वो हमसे समझौता करने का अनुरोध करने लगा और बाद में उसने डीजीपी और मुख्यमंत्री को फोन करने की अनुमति मांगी।[7]

उड़ता पंजाब के बाद धरती के स्वर्ग कश्मीर पर मंड़राता ड्रग्स का खतरा

लगभग 8 महीने पहले मेरी दुनिया बिलकुल बदल गई थी उस दिन मैंने पहली बार ड्रग्स लिया था। मेरे दोस्तों ने कहा था कि ड्रग्स लेने के बाद मैं बिलकुल बदल जाऊँगा और उत्साह महसूस करूगा। तो मैंने ड्रग्स ले लिया लेकिन जब मैंने ड्रग्स लेना शुरू किया तो उससे मेरी खुशियाँ छिन गई मेरा तनाब खोने की जगह बढ़ गया ये कहना है कश्मीर के श्रीनगर स्थित श्री महाराजा हरीसिंह अस्पताल के नशामुक्ति केन्द्र में भर्ती नशे के आदी 25 वर्षीय मुश्ताक अहमद का। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में ड्रग्स की लत के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

मुश्ताक अहमद ने बताया पहले दिन मैंने गांजा लिया लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे हेरोइन दी। अगले दिन से मुझे हेरोइन की बुरी लत लग गई इसके बाद हेरोइन लेना रोज की आदत बन गई। मुश्ताक अहमद बीते चार दिन से अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, वह कहते हैं कि उनके कुछ दोस्तो ने उन्हे इसकी लत लगाई। वह कहते हैं मैं जब भी ड्रग्स लेता था तब सीधा अपने कमरे में चला जाता था। मैंने बीते 8 महीने में ड्रग्स पर तीन लाख से ज्यादा रूपये गवां दिये हैं। मैं जब ड्रग्स नहीं लेता था तो मेरे पेट और शरीर में दर्द होता था। जब मेरे घर वालों को इसका पता चला तो उन्होनें मुझसे बात करनी बन्द कर दी। कोई घरवाला जब मुझसे बात करता तो मुझे लगता था कि वह मुझसे लड़ने जा रहा है। इसके बाद मैंने घरवालों से बात करके कहा कि वे मुझे इलाज के लिए नशामुक्ति केन्द्र लाए तब से मैं यहाँ हूँ। [8]

क्या ड्रग्स आसानी से उपलब्ध है?

ये सबाल जब मुश्ताक अहमद से पूछा गया तो उन्होने कहा हम दक्षिण कश्मीर के संगम इलाके में जाते थे। वहाँ हेरोइन मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। वह कहते हैं जब से नशामुक्ति केन्द्र आये हैं। उन्हें इस लत से मुक्ति मिलती दिख रही है। वह कहते हैं अब मैं ठीक हूँ मैं जब तक यहाँ नहीं आया था। मैं ड्रग्स के बगैर सो तक नहीं सकता था लेकिन अब चीजे बदल गई हैं और मैं सो सकता हूँ। मैं सभी नशा करने वालो से कहता हूँ कि इसे छोड़ दें, क्योंकि यह बर्बाद कर देता है। यह घर परिवार पैसा और जिंदगी सब बर्बाद कर देता है।

[7] बी.बी.सी.न्यूज

[8] बी.बी.सी.न्यूज

दिमागी विकास रोक देता है ड्रग्स।

इस नशामुक्ति केन्द्र में भर्ती एक दूसरा युवा अपनी कहानी बताता है। वह बताता है कि कैसे उसके एक दोस्त ने उसे नशे की आदत लगाई और फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उस युवा ने बताया बीते 2 सालों से मैं एस.पी. गोलियाँ और हेरोइन लेता था पहले इसमें आनन्द आता था लेकिन फिर यह आदत बन गई। ड्रग्स के कारण मैंने सब कुछ गवा दिया। मेरे घर वाले मेरा सम्मान नहीं करते थे। मैंने ड्रग्स की बजह से 5 से 10 लाख रूपये बर्बाद किये 1 ग्राम हेरोइन 3000/- रूपये का आती थी और मैं हर रोज 2 से 3 ग्राम हेरोइन खरीदता था। मैंने हेरोइन के लिए अपनी मोटरसाइकिल तक बेच दी। ड्रग्स लेने के बाद मै खुद को कुछ और समझता था। लेकिन जब सुबह नशा उतरता था तो मै कुछ भी नहीं होता था। इसने मेरी जिन्दगी को जहन्नुम बना दिया। ड्रग्स की लत अच्छे कामों से रोकती है यह कहती है मुझे लो यह आपके बौद्धिक विकास को रोक देती है।

इस युबक ने आगे बताया जब मेरी माँ और बहन को मेरी ड्रग्स की लत का पता लगा तो वह बहुत बुरी तरह रोए अब मैंने अपनी माँ और बहन से बादा किया है कि मैं ड्रग्स नहीं लूँगा मैंने अपने कई दोस्त देखे हैं जो ड्रग्स के आदी थे और मर गए तो मैंने कसम खाई है कि मैं इस जाल में फिर नहीं फसूँगा।[9]

ड्रग्स के धंधेबाजों ने माना- नशे में ग्लैमर दिखाने वाले गीतों और फिल्मों से फैल रहा जाल, 56% नशेड़ी खुद ही पेडलर बन गए

अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के बड़े जाल का खुलासा हुआ है। ऐसे माहौल में आईआईएम रोहतक ने एक खास स्टडी की है। पंजाब, गुजरात व दिल्ली की जेलों में बंद 872 ड्रग्स विक्रेताओं से आईआईएम रोहतक के डायरेक्टर प्रो० धीरज शर्मा और उनकी टीम ने 11 सवाल पूछे। ड्रग्स के इन धंधेबाजों में 23 महिलाएँ भी थी। इनमें से 85% ने माना कि नशीली दवाओं को बढ़ावा देने वाले संगीत ने युवाओं में ड्रग्स की खपत बढ़ाई है। 79.36% ने माना कि ड्रग्स का महिमामंडन करने वाली फिल्मों से खपत बढ़ रही है। खास बात यह है कि सभी ग्राहक और खुद ड्रग्स विक्रेता बॉलीबुड के कुछ अभिनेता- अभिनेत्री की नकल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ताकि नशे के बाद उनके जैसा काल्पनिक आत्मविश्वास महसूस कर सकें। ड्रग्स का सेवन भी ऐसे फिल्मी संगीत को सुनते समय ज्यादा किया जाता है। युवाओं को ड्रग्स की ओर खीचने में काफी हद तक भद्दे गीतो का हाथ है। इस स्टडी के साथ ही आईआईएम ने ड्रग्स के जाल को रोकने के लिए कुछ सुझाव तैयार किए हैं, जिन्हें मंत्रालय को भेजा जायेगा।

डायरेक्टर का सुझाव: फिल्मों में ड्रग्स व उसकी खपत से जुड़े दृश्यों पर चेतावनी अनिवार्य हो

- बॉलीवुड फिल्मों में अल्कोहल और धूम्रपान की तर्ज पर ड्रग्स, उसकी खपत या विक्री से जुड़े दृश्यों पर चेतावनी अनिवार्य हो।
- ड्रग्स के व्यापार को खत्म करने के लिए शुरूआती स्तर पर ही ड्रग यूजर्स की काउंसलिंग जरूरी है।
- स्कूल- कॉलेजों में सक्रिय पदार्थ देना उपयोगी रहेगा।
- स्वास्थ्य सेवाओं और पुनर्वास की व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। सरकारी अनुदान से शैक्षिक संस्थानों में ही पुनर्वास सुविधा दें।
- अधिकांश नशीली दवाओं की घुसपैठ पाकिस्तान जैसे देशों से होती है। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सख्त पहरेदारी को बढ़ाएँ और सख्त सजा का प्रवधान हो।
- ड्रग्स विक्रेताओं के लिए कॉलेज के छात्रों और पब सबसे आसान निशाना है। यहाँ जागरूकता व सख्ती की जरूरत है।
- शिक्षण संस्थानों और एकेडमियों में रेंडम ड्रग जांच करवाई जानी चाहिए।

[9] बी.बी.सी.न्यूज

दुनिया में 30 लाख करोड़ रूपये का है नशे का कारोबार, देश की 20% आबादी गिरफ्त में

3 माह से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला भले ही न सुलझ पाया हो। लेकिन उनकी मौत के कारणों की पड़ताल के बीच बॉलीवुड में उधड़ी नशे की परतों ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। कई नामी गिरामी हस्तियों के नाम सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन जारी कर इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इस पूछताछ में लगातार नए- नए खुलासे हो रहे हैं। खास बात यह है कि बॉलीवुड में सजने वाली नशे की इन महफिलों में न केवल पुरूष बल्कि महिलाएँ भी बढ़चढ़कर शामिल हो रही हैं। मामले में बड़ी हीरोइनों के नाम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि बॉलीवुड से नशे का यह कनेक्शन नया नहीं है। इंडस्ट्री के शुरूआती दिनों से ही बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों के नशे के किस्से चर्चित रहे हैं लेकिन इस चर्चा ने एक बार फिर समाज में गहरे तक फैल चुकी नशे की जड़ों को खंगालने का अवसर दे दिया है।

ड्रग वार डिस्टॉर्सन और वर्डोमीटर की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया मे मादक पदार्थों का अवैध व्यापार सालाना लगभग 30 लाख करोड़ रूपये का है। वहीं नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट (एनडीडीटी) एम्स की वर्ष 2019 की रिपोर्ट बताती है कि अकेले भारत में ही लगभग 16 करोड़ लोग शराब का नशा करते हैं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की भी है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ महिलाएँ देश में शराब, अफीम और कैनाबिस का सेवन करती हैं। हर 16 में से एक महिला शराब की इतनी आदी है कि इसके बिना वह रह नहीं सकती। रिपोर्ट के अनुसार देश की लगभग 20% आबादी (10- 75 वर्ष के बीच की) बिभिन्न प्रकार के नशे की चपेट में है। गम्भीर बात यह है कि देश में पारंपरिक नशे जैसे कि तम्बाकू, शराब, अफीम के अलावा सिंथेटिक ड्रग्स स्मैक, हेरोइन, आइस, कोकीन, मारिजुआना आदि का उपयोग तेजी से बढ़ा है।

6 बिंदुओं के आधार पर समझिए नशे के कारोबार और दुष्परिणमों को

1. भारत में नशे का कितना बड़ा बाजार है?

युएन ऑफिस ऑफ ड्रग एण्ड कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में पूरी दुनिया भर में सप्लाई होने वाले कुल गाँजा का 6% यानि लगभग 300 टन गाँजा अकेले भारत में जब्त किया गया था। यही नहीं 2017 में यह मात्रा बढ़कर 353 टन हो गई। वहीं चरस की यदि बात की जाए तो सन् 2017 में 3.2 टन चरस सीज (जब्त) की गई। नशे के कारोबार का सटीक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है लेकिन विभिन्न एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों का अनुमान है कि भारत में इसका सालाना अवैध कारोबार लगभग 10 लाख करोड़ रूपये का है।

2. गैर कानूनी ड्रग्स के मामले में भारत की स्थिति क्या है?

भारत में ओपिओड का नशे के रूप में इस्तेमाल ग्लोबल और एशियाई औसत से भी काफी ज्यादा है। हालांकि कैनबिस, एटीएस और कोकीन जैसे नशे के उपयोग का चलन यहाँ कम है।

क्रमांक	ड्रग का प्रकार	विश्व (15- 64 वर्ष)	एशिया(15-64 वर्ष)	भारत(10-75 वर्ष)
1	ओपिओड	0.70%	0.46%	2.06%
2	कैनबिस	3.90%	1.90%	1.20%
3	एटीएस	0.70%	0.59%	0.18%
4	कोकीन	0.37%	0.03%	0.11%
5	योग	5.67	2.98	3.55

नोट: यहाँ पर कैनबिस का डेटा केवल उसके अवैध फॉर्म जैसे कि गाँजा और चरस को शामिल किया गया है।

3 . देश में इसे रोकने के लिए क्या कानून हैं?

देश में मुख्यत: स्वापक औषधियाँ और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें नशीले पदार्थ का सेवन करना, रखना, बेचना या उसका आयात- निर्यात करना या फिर इस कारोबार में किसी की सहायता करना। सभी में गम्भीर सजाओं के प्रावधान हैं जुर्म के हिसाब से इसमें सजाएँ तय हैं। इस कानून के अन्तर्गत सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना त्वरित मुकदमा चलाने के लिए कर सकती है। विशेष न्यायालयों की व्यवस्था जरूरत के अनुसार स्थापना कर सकती है। ऐसे अपराध जिनमें तीन वर्ष से अधिक का कारावास होता है इनका विचारण विशेष न्यायालयों में होता है। इस प्रकार के अपराधों के आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है।

4. एनसीबी क्या है, यह कैसे काम करती है?

नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक एजेंसी है। जो ड्रग्स से जुड़े मामलों की जाँच करती है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। यह एजेंसी सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ जीएसटी, राज्य पुलिस विभाग, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई), केन्द्रीय खुफिया ब्यूरों (सीईआईबी) और अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। वर्तमान में इस ऐजेंसी में लगभग 1000 कर्मचारी हैं इसका काम सीमा शुल्क समन्वय परिषद, इन्टरपोल, यूएनडीसीपी, आईएनसीबी, आरआईएलओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सम्पर्क बनाना भी है।

5. देश मे कितनी आबादी नशे के जाल में फंसी है

फरवरी 2019 मे आई नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट (एनडीडीटी) एम्स की रिपोर्ट के अनुसार देश में विभिन्न प्रकार का नशा करने वाली आबादी का प्रतिशत 10- 75 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में

शराब पीने वाले 14.6%,

गाँजा पीने वाले 2.8%,

अफीम लेने वाले 2.1%,

नशीली दवायें 1.8%,

सूघने वाला नशा 0.7%

6. 14 साल में पाँच गुना बड़ा अफीम का उपयोग

फरवरी 2019 में आई नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट (एनडीडीटीसी) एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 2018 के बीच देश में अफीम का उपयोग पाँच गुना बड़ चुका है। वहीं रिपोर्ट यह भी बताती है कि देश में 90 लाख महिलाएँ शराब, 40 लाख महिलाएँ कैनबिस और 20 लाख महिलाएँ अफीम का सेवन करती हैं। हर 16 में से एक महिला शराब की लत में जकड़ चुकी है कि वो शराब के बिना रह नहीं सकती हैं। वहीं पुरूषों में ये आंकड़ा 5 में से 1 है।

देश में 2013- 17 में नशे के मामलों पर सजा

नशे के अवैध व्यापार के मामलों में 2013- 17 के बीच इन अपराधियों को सजा दी गई है आंकड़े स्टैटिस्टा के अनुसार

क्रमांक	वर्ष	सजा
1	2017	36067
2	2016	40660
3	2015	52143
4	2014	35140
5	2013	22640
6	योग	186650

दुनिया भर में नशे के कुछ भयावह आंकड़े[10]

महिलायें भी ले रही हैं ड्रग्स

वो कहते हैं हालांकि कुछ मामले महिलाओं के भी आए हैं लेकिन चिंता की बात ये है कि महिलायें भी अब हाई ड्रग्स की ओर बढ़ रही हैं। वो बताते है कि अभी हाल ही में उनके पास एक महिला आई थी। जिसे नशे की लत थी। वो हेरोइन लेती थी वो ग्रुप में नशा करती थी। उसके ग्रुप की एक महिला की नशे के कारण मौत हो गई। जिससे वो बहुत परेशान थी और इसलिए वो मेरे पास आई थी। ऐसे में महिलायें लोगो को पता न चल जाए, इस डर से नशा मुक्ति केन्द्र जाने से बचती हैं।

पिछले 4 वर्षो के ऑकड़ों को दिखते हुए डॉ. रहतर कहते हैं हम आपको बीते 4 वर्षो के नम्बर दे रहे है वर्ष 2016 में हमारे पास 500 ओपीडी और 200 आईपीडी के मामले आये थे। वर्ष 2016 में कश्मीर 6 महीने के लिए बंद रहा था। इसलिए इस दौरान उतने मामले नहीं आए लेकिन वर्ष 2017 में अचानक ये संख्या बढ़कर 3500 पहुच गई। हमने 350 लोगों को एक ही वक्त में भर्ती किया था। ज्यादा मरीज 2018 में आना शुरू हुए और सिर्फ ओपीडी में ये संख्या 5000 के पार पहुँच गई जबकि आईपीडी में 650 वर्ष 2019 में शुरू के 3 महीने हमारे पास ओपीडी में 1500 मामले आए और आईपीडी में 150 आप देख सकते हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।[11]

हर रोज नशे के सेवन से मरने वाले लोगों की सेख्या

क्रमांक	प्रदेश का नाम	मरने वालों की संख्या
1	तमिलनाडु	205
2	पंजाब	186
3	हरियाण	76
4	केरल	64
5	मध्य प्रदेश	40
6	योग	571

[10] समाचार पत्र ; दैनिक भास्कर, ग्वालियर , रविवार, दिनांक, 27 सितम्बर, 2020 पेज नं०14

[11] बी.बी.सी.न्यूज

नशा की अधिकता से मरने वालों की संख्या में तमिलनाडु सबसे आगे है।[12]

नशाखोरी को समाप्त करने के लिए आन्ध्रप्रदेश राज्य सरकार क्या- क्या कदम उठा रहा है?

नशाखोरी को समाप्त करने के लिए आन्ध्रप्रदेश सरकार की ओर से कई प्रभावी कदम उठाये जा रहें हैं। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने राज्य भर में शराब बंद करने के लिए सरकार द्वारा 43,000 बेल्ट की दुकान बन्द की गई है। शराब की कीमत में शराब में 25 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। साथ ही शराब की बिक्री का समय भी कम कर दिया गया है। शराब की दुकानों की संख्या को 4380 से घटाकर 3500 की गई है।

किसी भी राज्य की जनता ही वहाँ की सबसे बड़ा धन और ताकत होती है। यदि जनता का भविष्य ही अंधकार में चला जाये तो वह राज्य उन्नति नहीं कर सकता। आजकल कई लोग सुख के समय में आनन्द और उल्लास जीवन के लिए दु:ख में निराश होकर दु:ख को भुलाने के लिए मादक पदार्थों का सहारा ले रहा है। ये मादक पदार्थ ही नशा कहे जाते हैं।

नशाखोरी को रोकने के उपाय

सरकार को नशाबन्दी कानून कड़ाई से लागू करना चाहिए। इससे होने वाले राजस्व की हानि की भरपाई की चिन्ता न करके पूरे देश में नशाबन्दी लागू कर देनी चाहिए। तथा मादक पदार्थों के व्यवसाय में लिप्त व्यक्ति को कड़ा दण्ड देने का प्रावधान करना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं, अभिभावकों, शिक्षकों, धर्मगुरूओं को भी नशाखोरी रोकने में प्रभावी भूमिका हो सकती है। जब तक सब लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक इस सामाजिक अभिशाप से मुक्ति नहीं मिल सकती।

- हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए।
- इससे होने वाली हानियों के विषय में जानकर खुद को इससे दूर रखना चाहिए।
- सरकार को भी नशे पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।
- यदि कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थ बेचता हुआ पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
- लोगों को नशे की लत छुड़वाने के लिए बहुत से नशामुक्ति केन्द्र, समझाइस कार्यालय, जगह- जगह कैम्प अधिक से अधिक खोले जाने चाहिए।

नशाखोरी और अपराध में सम्बन्ध

नशीली वस्तुऐं व्यक्ति के चरित्र की कमजोरी का प्रतीक है। और यह दर्शाता है कि वह समाज के प्रति कितना गैर जिम्मेदार है। पुलिस आँकड़ों तथा कारागार की सांख्यिकी के आधार पर यह साबित हो चुका है कि नशाखोरी और आपराधिक कृत्यों के बीच घनिष्ट सम्बन्ध है। यही कारण है कि वर्तमान में नशे के आदी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली आपराधिक घटनाओं में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। मानव की आपराधिकता का मूल कारण उसकी मानसिक कमजोरी ही है जिन व्यक्तियों का शरीर और मन स्वस्थ्य है। वे हत्या, लूट, डकैटी, चोरी बलात्कार, मारपीट आदि जैसे जघन्य अपराधों से दूर रहते हैं और न वे इतना अधिक नशा ही करते हैं कि स्वयं पर नियंत्रण खो बैठें। समाजशास्त्रियों द्वारा नशाखोरी और आपराधिकता के परस्पर सम्बन्धों के बारे में किए गए अनुसंधानों से पता चलता है कि नशाखोरी और अपराधी व्यक्ति की शारीरिक बनावट में बहुत समानता होती है। इस आधार पर नशे की लत का आपराधिकता पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है।

[12] बी.बी.सी.न्यूज

1. अपराध की योजनाएँ प्राय: मदिरालयों तथा शराब की दुकानों में बनाई जाती हैं। जहाँ नशा का विक्रय एवं सेवन होता है।
2. अपने मानसिक तनाव को कम करने हेतु अपराधीगण प्राय: नशा करतें हैं ताकि उनकी आत्मा की पुकार उन्हें दुष्कर्म करने से न रोक पाये।
3. अपराधों से प्राप्त की गई लूट या धन- राशि का बँटवारा मदिरालयों में ही किया जाता है।
4. मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति की स्व- नियंत्रण की क्षमता समाप्त कर देते हैं और वह अपने बारे में सोचने में असमर्थ हो जाता है।
5. बाल- अपचारिता और नशाखोरी में घनिष्ट सम्बन्ध है।
6. मद्य निषेध वाले इलाकों में मदिरा और नशीली वस्तुओं की खरीद- फरोख्त और उन्हें अपने पास रखना स्वयं अवैध और आपराधिक कृत्य होने के कारण इसकी लत वाले व्यक्ति स्वयंमेव अपराधी बन जाते हैं।
7. नशीले पदार्थों का व्यसन एक ऐसा कृत्य है। जो विधि द्वारा निषिद्ध होने के कारण इनके साथ दूसरे आनुषांगिक अपराध भी जुड़े रहते हैं। उदाहरणार्थ शराब की अवैध भट्टियाँ चलाना, मदिरा तथा मादक पदार्थों की तस्करी, रिकेटियरिंग, लुके- छिपे इन वस्तुओं को लाना- ले जाना और इनकी सप्लाई करना, पकड़े जाने से बचने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को घूस और रिश्वत लेना आदि।
8. नशा ही प्राय: अनैतिकता, क्षति या दुर्घटना के लिए करणीभूत होते हैं। लगभग 53% यातायात सम्बन्धी दुर्घटनाएँ वाहन चालकों के नशे में होने के कारण ही घटित होती हैं। इसी प्रकार 15 से 20 प्रतिशत नशेखोरी व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं।
9. नशे का आदी व्यक्ति स्वयं तो अनेक रोगों या बीमारियों का शिकार होता ही है। अपितु वह अन्य लोगों को विशेषकर उसकी देखरेख करने वाले परिवारजनों को भी असाध्य रोग से संक्रमित करके घोर हानि पहुंचाता है।

वर्तमान समय में नशीली वस्तुओं के सेवन ने एक फैशन का रूप धारण कर लिया है। जिसे युवा वर्ग अपनी बोरियत मिटाने के लिए शौकिया तौर पर शुरू करते हैं। और वे उसके आदी हो जाते हैं। अनेक व्यक्ति इस व्यसन को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु या उत्तेजना प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। कुछ लोग अपनी सुषुप्त कामवासना जागृत करने के लिए भी नशाखोरी का प्रयोग करते हैं।[13]

नशीले पदार्थों का वर्गीकरण

नशीली औषधियों पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिसका कि भारत सदस्य है, ने औषधियों को दो वर्गो में विभक्त किया है-

1 . स्वापक औषधियाँ तथा

2 . साइकोट्रोफिक पदार्थ

1 . स्वापक औषधियों में निम्नलिखित समाहित हैं-

I. अफीम[14] और इससे व्युत्पन्न पदार्थ जैसे मोर्फिन, हेरोइन, तथा कोडीन

II. कोकापत्ती तथा कोकीन,

[13] अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन; डॉ०ना०वि०परांजपे ;प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स , 107 - दरभंगा कालोनी , इलाहाबाद - 211002 पेज नं. 152-153

[14] अफीम को अफीम की पॉपी से लिकाला जाता है जिसे पेपेवर सोमनीफिरूम कहते हैं।

III. केनेबी पौधे का रस तथा टिन्चर्स,

IV. मेथाडीन, पेथाडीन तथा हिबाइन

2 . साइकोट्रोफिक पदार्थों मे वेलियम, डायजीपाम, टाइडीजेसिक, मार्फिन आदी सम्मिलित हैं।[15]

अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन द्वारा प्रयास

मादक एवं नशीले पदार्थों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम 1909 में चीन में तेरह राष्ट्रों के अफीम आयोग की बैठक आयोजित की गई। जिसमें आगामी अन्तर्राष्ट्रीय अफीम कन्वेन्शन की रूपरेखा तैयार की गई। यह कन्वेन्शन सन् 1912 में हेग में सम्पन्न हुआ जो 'स्वापक पदार्थों पर हेग कन्वेन्शन' के नाम से विख्यात है। सन् 1961 में स्वापक औषधियों पर एकल कन्वेन्शन आयोजित हुआ जिसमें नशीली औषधियों पर नियंत्रण हेतु एक सर्वसम्मत तंत्र की व्यवस्था की गई। इस कन्वेन्शन के अनुच्छेद 38 के परन्तुक (1) में यह उपबन्धित था कि नशीले पदार्थों/ औषधियों के व्यसन के शिकार हुए व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सकीय उपचार एवं पुनर्वास की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस कन्वेन्शन की एक अन्य विशेषता यह थी कि इसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक औषधि के व्यापार नियंत्रण से सम्बन्धित सभी बहुराष्ट्रीय सन्धियों को संहिताबद्ध किया गया। केन्द्रीय स्थायी बोर्ड तथा पर्यवेक्षकीय बोर्ड का विलय करके एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक औषधि बोर्ड स्थापित किया गया।

सन् 1961 के कन्वेन्शन में अपनाई गई औषधि नियंत्रण नीति में व्यापक सुधार हेतु सन् 1972 के प्रोटोकोल में व्यवस्था की गई। जो 8 अगस्त, 1975 से प्रभावी हुआ। सन् 1987 तक इस प्रोटोकोल पर 76 देशों ने हस्ताक्षर कर दिये थे। इस प्राटोकोल द्वारा स्वापक औषिधयों/ पदार्थों की मांग और पूर्ति में सन्तुलन बनाये रखने का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड(INCB) को सौंपा गया था।

इसी प्रकार का एक अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन सन् 1971 में साइकोट्रोफिक पदार्थों के नियंत्रण हेतु हस्ताक्षरित हुआ। जो 16 अगस्त, 1976 से लागू किया गया। किसी पदार्थ को चिकित्सकीय दृष्टि से मन: चिकित्सकीय माना जाए अथवा नहीं। यह निर्णीत करने का दायित्व विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को सौंपा गया।

तत्पश्चात् 1970 के दशक में औषधियों के दुरूपयोग में बढ़ोत्तरी के कारण संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सन् 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय औषधि दुरूपयोग नियंत्रण योजना तैयार की। जिसे पंचवर्षीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। इसमें जिन प्रमुख बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गया वे निम्नलिखित थे-

1. अन्तर्राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण व्यवस्था में सुधार करना;
2. अवैध औषधि व्यापार पर नियंत्रण रखना;
3. औषधियों के वैधानिक उपयोग के लिए इनकी मांग और पूर्ति में सन्तुलन बनाये रखना;
4. औषधि निर्माताओं की ओर से अवैध कार्यो में लिप्त प्रयोगशालाओं का पता लगाकर उन्हें प्रतिबन्धित करना;
5. औषधि के व्यसन पर रोक लगाना तथा व्यसनी लागों के उपचार एवं पुनर्वास को प्रोत्साहन देना। उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित करने का दायित्व स्वापक औषधि आयोग को सौंपा गया।

[15] अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन ;डॉ०ना०वि०परांजपे ;प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स , 107 - दरभंगा कालोनी , इलाहाबाद - 211002 पेज नं. 154

6. स्वापक औषधियों से सम्बन्धित सांख्यिकी को एकत्रित करके उसके मूल्यांकन की एक व्यापक योजना तैयार करना तथा उसे प्रसारित करना;
7. स्वापक औषधि के दुरूपयोग के विरूद्ध जन- जागृति उत्पन्न करने हेतु एक प्रभावी शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करना तथा युवाओं को व्यावसायिक और स्व- रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक सामग्री तैयार करना।[16]

भारतीय संसद द्वारा नशाखोरी पर बनाऐ गऐ कानून

नशीली एवं स्वापक औषधियों तथा पदार्थों की बढ़ती हुई लत को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने स्वापक औषधियाँ और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 पारित किया। जिसके फलस्वरूप पूर्ववर्ती अफीम अधिनियम,1878 तथा खतरनाक औषधि अधिनियम,1930 निरसित हो गए। स्वापक औषधियाँ और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 सम्पूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम की धारा 15 से 40 में दाण्डिक उपबन्ध दिये गये हैं। अधिनियम की धारा 27-क[17] के अनुसार ऐसा अपराधी जो स्वापक औषधि के अवैध व्यापार में लिप्त है या अपराधियों को संश्रय देता है। न्यूनतम 10 वर्ष के कठोर कारावास जो 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से जो 1 लाख रूपये से कम नहीं होगा किन्तु 2 लाख रूपये तक हो सकेगा।
धारा 27 में यह उपबन्धित है कि यदि व्यसनी व्यक्ति (आदी व्यक्ति) यह साबित कर देता है कि उसके पास से बरामद की गई स्वापक औषधि या मन: प्रभावी पदार्थ केन्द्र सरकार द्वारा घोषित की गई "थोड़ी मात्रा" में है तथा वह इसके वैयक्तिक उपभोग के लिए है और विक्रय के लिए नहीं है। तो वह 1 वर्ष तक के कारावास से या 20 हजार रूपये के जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डित होगा। केन्द्र सरकार द्वारा स्वापक औषधि या मन: प्रभावी पदार्थ की 'थोड़ी मात्रा' नियमानुसार विनिर्दिष्ट है-

i. हेरोइन जिसे साधारणत: ब्राउन शुगर या स्मेक कहते हैं- 250 ग्राम
ii. हशीश या चरस- 5 ग्राम
iii. अफीम - 5 ग्राम
iv. कोकीन - 125 ग्राम
v. गांजा- 500 ग्राम

अधिनियम की धारा 31-क[18] के अनुसार इस अधिनियम की धारा 15 से 25 के अन्तर्गत कारित अपराधों के लिए पूर्व दोषसिद्धि की दशा में अभियुक्त को मृत्यु दण्ड तक से दण्डित किया जा सकेगा। इसी प्रकार धारा 32-क[19] में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित अपराधी की सजा में धारा 27 के सिवाय किसी प्रकार का विलम्बन, लघुकरण या छूट देय नहीं होगी, धारा 64-क[20] के अधीन किसी व्यसनी (आदी) द्वारा अपने जीवन काल में केवल एक बार इस अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपराध किये जाने की दशा में उसे आपराधिक दायित्व से छूट दी जा सकेगी।

---

[16] अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन;डॉ० ना०वि० परांजपे; प्रकाशक- सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107 - दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद - 211002 पेज नं.156 -157

[17] धारा 27 -क सन् 1989 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई तथा इसे दिनांक 29 मई,1989 से लागू किया गया।

[18] धारा 31-क सन् 1989के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई तथा इसे दिनांक 29 मई ,1989 से लागू किया गया।

[19] धारा 32 -क सन् 1989 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई तथा इसे दिनांक 29 मई,1989 से लागू किया गया

[20] धारा 64-क सन् 2001के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई तथा इसे दिनांक 2 अक्टूबर ,2001 से लागू किया गया

इस अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानो से स्पष्ट होता है कि भारत में नशीले एवं स्वापक पदार्थों के व्यसन को नियंत्रित करने हेतु कठोर कदम उठाये गये हैं। फिर भी इस बुराई को दूर नहीं किया जा सका है।
उल्लेखनीय है कि भारत में सन् 1980 के पूर्व हेरोइन का नशा नहीं के बराबर था। परन्तु 1989 में भारत में लगभग 8,00,000 हेरोइन के व्यसनी बन चुके थे और सन् 2002 में इनकी संख्या बढ़कर 22 गुने से अधिक हो गई।
भारत में नशीले पदार्थों की लत एक जंगली आग की तरह फैल चुकी है। यहाँ तक कि इसकी तस्करी मृत शरीर में रखकर भी की जा रही है। 25 दिसम्बर, 1987 को वृहद बम्बई के प्रमुख न्यायाधीश एस०ए० कीर्तीकर ने मृत- मानव शरीर में बड़ी मात्रा में हेरोइन छिपाकर उसकी तस्करी करने के अपराध में दो नाइजीरियन नागरिकों को 12 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास तथा 2 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया था।[21]

नशाखोरी की रोकथाम से सम्बन्धित प्रमुख एजेन्सियाँ

भारत सरकार ने विभिन्न कानून पारित करके नशीली औषधियों और पदार्थों के अवैध व्यापार को प्रतिबन्धित किया है। इन कानूनों के प्रवर्तन से सम्बन्धित प्रमुख अधिकारी चुँगी तथा आबकारी विभाग, स्वापक आयुक्त केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल तथा औषधि- नियन्त्रक आदि हैं। राज्य स्तर पर यह कार्य आबकारी विभाग, पुलिस तथा नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। चूँकि इन नशीली वस्तुओं की अन्तर्राज्जीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। इसलिए इसे रोकने के लिए विभिन्न सरहदी राष्ट्रों का आपसी सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। इस समस्या के निवारण हेतु राष्ट्रसंघ द्वारा एक स्वापक औषधि आयोग का गठन किया गया है। तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक नियन्त्रण मण्डल भी नशाखोरी के उन्मूलन हेतु कार्य कर रहा है। इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुख्य कार्य इनकी नीतियों तथा निर्णयों को सहयोगी देशों में लागू करने हेतु साधन तन्त्र उपलब्ध कराना तथा इन वस्तुओं के नियन्त्रण की प्रगति का समय-समय पर पुनर्निर्धारण करना है।

मादक स्वापक वस्तुओं के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए 19 दिसम्बर, 1988 को वियना में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। जिसमे भारत सहित 108 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में उपस्थित देशों ने नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में हो रही अपूर्व वृद्धि के प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए इसे रोकने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक आपसी सहयोग की अपेक्षा की। इस 'विश्व संकट' से उभरने हेतु एक प्रस्ताव यह भी रखा गया था कि इन वस्तुओं का अवैध व्यापार करने वाले अपराधियों के प्रत्यर्पण की सुविधा सभी देश उपलब्ध करें। ताकि ये अपराधी देशों के बीच प्रत्यर्पण- सन्धि के अभाव में पकड़े जाने से बच न निकल पाएँ। परन्तु दुर्भाग्यवश इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों ने इस अनिवार्य प्रावधान को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।[22]

राष्ट्रीय आयोग

मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए भारत में सन् 1976 में एक राष्ट्रीय आयोग[23] का गठन किया गया था। जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना था-

---

[21] अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन;डॉ० ना०वि० परांजपे; प्रकाशक- सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107 - दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद - 211002 पेज नं.158 -159

[22] अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन; डॉ० ना०वि० परांजपे; प्रकाशक- सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स,107- दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद- 211002 पेज नं.161 -162

[23] Nation Commission on Drug Addiction (1976)

1 . देश में मादक पदार्थों के सेवन की व्यापकता तथा परिणाम।

2 . यह निर्धारित करना कि लोग नशाखोरी के लिए अभिप्रेरित क्यों होते हैं।

3 . यह पता लगाना कि कौन- सी विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और पदार्थ नशीली प्रकृति की है। जिन्हें नशे की लत वाले व्यक्ति प्रयोग करते हैं और उन पर पाबन्दी लगाने के क्या उपाय हो सकते हैं।

4 . नशे की लत छुड़ाने तथा नशा छोड़ देने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु सुझाव देना आदि।

इस राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में नशीले पदार्थों को नियन्त्रण में रखने हेतु एक राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल की स्थापना किये जाने की सिफारिश की। आयोग ने इस सामाजिक बुराई के निवारण के लिए पुलिस, आबकारी विभाग तथा औषधि नियन्त्रण विभागों के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। नशाखोरी के विरूद्ध जन चेतना जागृत करने का परामर्श दिया। आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप सन् 1985 में एक स्वापक-औषधि नियन्त्रण मण्डल की स्थापना की गई।

इस स्वापक नियन्त्रण ने यह सुझाव रखा है कि जिन अपराधियों के विरूद्ध नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार का अपराध सिद्ध हो जाता है। उनकी समस्त सम्पत्ति तथा अवैध व्यापार से हुई आय सरकार द्वारा जब्त कर ली जानी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नशाखोरी से सम्बन्धित विभिन्न निर्णय

बिल्फ्रेड जोसेफ दाउद लेमा बनाम महाराष्ट्र राज्य[24] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने दो विदेशी नागरिकों की स्वापक औषधि एवं साइकोट्रोफिक पदार्थों के अवैध व्यापार अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत ब्राउन शुगर की तस्करी करने के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया था। इस वाद में न्यायालय ने विनिश्चित किया कि 'ब्राउन शुगर' एक स्वापक औषधि है न कि साइकोट्रोफिक पदार्थ, न्यायालय ने यह भी अभिनिश्चित किया कि 'NDPS'[25] अधिनियम के तहत दोषी पाए गये अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपी की तलाशी लेने के पूर्व उसे यह बताया जाना आवश्यक नहीं है कि वह चाहे, तो अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने करवा सकता है।

बीरेन्द्र कुमार राय बनाम भारत संघ[26] के एक अन्य वाद में कि एनडीपीएस अधिनियम, 1988 के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। तथा ऐसे सिद्ध- दोष अपराधी के प्रति संविधान के अनुच्छेद 22(5) के उपबंध लागू नहीं किये जाने चाहिए। अत: इस अधिनियम के अधीन अभियुक्त को निरोध में रखा जाना मनमानी कार्यवाही नहीं मानी जाएगी।

भारत संघ बनाम कुलदीप सिंह[27] के वाद में अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के साथ सहपठित धारा 9-क एवं 25-क के अन्तर्गत निषिद्ध द्रव- पदार्थ (880 लीटर एसिटिक एन हाइड्राइड) रखने के अपराध के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया था। जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में 1 वर्ष की सजा और भुगतनी थी। विचारण न्यायालय ने अधिकतम दण्ड इसलिए दिया क्योंकि अभियुक्त से जब्त की गई एसिटिक हाइड्राइड से लगभग 300 किलोग्राम हेरोइन तैयार की जा सकती थी। जो एक बड़ी मात्रा होने के कारण इसके लिए अधिकतम दण्ड ही न्यायोचित था।

---

[24] (1990) क्रि०लॉ०ज०1034

[25] Preventin Of Lllicit Traffic In Narcotic Substances& Psychotrophic Substances (Amendment) Act, 1988

[26] ए०आई०आर०1993 सु०को० 942

[27] (2004)2 एस०सी०सी०590

'नशे' के बचाव से सम्बन्धित मनीन्द्र लाल दास बनाम सम्राट[28] का एक अन्य मामला भी उल्लेखनीय है। इस मामले में एक पुलिस अधिकारी ने एक वेश्या को गोली मारकर आहत कर दिया। जिसके साथ उसकी मित्रता और सम्बन्ध थे। अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत हत्या के प्रयास तथा धारा 326 के अन्तर्गत गम्भीर चोट का आरोप था। आरोपी ने नशे में होने का बचाव प्रस्तुत किया परन्तु विचारण न्यायालय ने इसे स्वैच्छिक नशे का मामला मानते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया। इस निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील होने पर न्यायालय ने निर्णय को पलटते हुए अभिनिर्धारित किया कि निचले न्यायालय ने 'जानकारी' और 'आशय' में विभेद करने में भूल की थी और केवल जानकारी को ही आशय माना जो उचित नहीं था।

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य[29] का वाद महत्वपूर्ण है। जिसमें स्वेच्छया किये गये नशे के आपराधिक दायित्व पर प्रभाव की विस्तृत स्याख्या की गई है अभियुक्त जो कि सेना का एक सेवानिवृत जमादार था, के विरूद्ध बारात में एक युवक की गोली मारकर हत्या कारित करने का आरोप था। अभियोजन के अभियुक्त ने अत्यधिक नशा किया था और नशे की हालत में उसने मृतक युवक को थोड़ा हटने के लिए कहा ताकि वह (अभियुक्त) आराम से बैठ सके। युवक के न हटने पर अभियुक्त ने उसे गोली मार दी। जिसके कारण युवक की मृत्यु हो गई। साक्ष्य के आधार पर साबित किया गया कि यद्यपि अभियुक्त नशे में लड़खड़ा रहा था और उसकी बातों में सुसंगति नहीं थी। फिर भी वह स्वतन्त्रतापूर्वक चलने-फिरने में समर्थ था तथा उसके बैठने के लिए उपयुक्त सीट का चयन हत्या के बाद वहाँ से भागने का प्रयास तथा पकड़े जाने पर अपने किये पर खेद प्रकट करना आदि इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह पर्याप्त सीमा में होश में था। अपने कृत्य के बारे में सोचने-समझने की स्थिति में था। अत: न्यायालय ने निर्धारित किया कि केवल अत्यधिक नशे के कारण उत्पन्न हुई मत्तता को अपने- आप में आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकेगा। जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि उसके प्रभाव के कारण अभियुक्त अपनी सामान्य सोच समझ खो बैठा था। उक्त आधार पर अभियुक्त का अपराध हत्या से मानव- वध में परिवर्तित किये जाने का कोई औचित्य न होने के कारण उसके आजीवन कारावास के दण्ड को यथावत कायम रखा गया।

जेठूराम नागवंशी बनाम राज्य[30] के वाद में अभियुक्त को उसके पिता के कहने पर शारीरिक दर्द कम करने के लिए पिलाई गई मदिरा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 85 के अर्थ में 'ज्ञान के बिना' पिलाई गई नहीं मानी जा सकती। अत: इस आधार पर अभियुक्त को उसके आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति नहीं दी जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि स्वैच्छिक मत्तता किसी भी स्थिति में बचाव प्रदान नहीं कर सकती है। यद्यपि दण्ड की मात्रा के निर्धारण में इस पर विचार किया जा सकता है तथा दण्ड में कमी की जा सकती है।[31]

यह संदेह से परे साबित कि अभियुक्त 1.500 किलोग्राम गांजा अपने साथ ले जा रहा था। विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया दण्डादेश पूर्व में भुगती गई अवधि तक कायम रखा गया।[32]

जब्ती घर के भीतर के स्थान से की गई थी न कि अभियुक्त व्यक्ति के शरीर से धारा 50 प्रयोज्य नहीं होती है।[33]

अभियुक्त के बैग की तलाशी ली गई और अफीम बरामद की गई धारा 50 के उपबन्ध लागू होते हैं।[34]

---

[28] ए०आई०आर० , 1937 कलकत्ता432

[29] ए०आई०आर०1956 सुप्रीम कोर्ट 488

[30] ए०आई०आर०,1960 म०प्र०242

[31] रामशंकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य , ए०आई०आर० 1981 सु०को० 644

[32] नन्दू बनाम मध्य प्रदेश राज्य , 2014(1) एम०पी०डब्लू०एन० 67

[33] राजस्थान राज्य बनाम मनोज शर्मा , ए०आई०आर० 2009 एस० सी० 2642

यदि व्यक्ति अपने साथ थैला या कोई अन्य सामान लिए हुए है और उसमें से स्वापक औषधि बरामद की जाती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसे उसके शरीर से पाया गया था। इसलिए स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी के लिए कोई प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं हैं।[35]

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि नशा व्यक्ति शौकिया रूप में, या मानसिक तनाव को मिटाने के लिए शुरू करता है। लेकिन वह इस दल- दल में फंसता ही चला जाता है और नशे का आदी हो जाता है। जिससे वह और उसका परिवार पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर आ जाता है। नशाखोरी की समस्या भारत देश की ही समस्या नहीं है बल्कि पूरे विश्व की समस्या है, नशाखोरी से निपटने के लिए पूरे विश्व के देश इकठ्ठे होकर एक ऐसा अभियान चलायें। जिससे नशाखोरी पूरी तरह समाप्त हो जाये कुछ देश या राज्य नशीले पदार्थों पर रोक इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि नशीले पदार्थों से राजस्व अधिक मिलता है। सरकार को नशाबन्दी कानून कड़ाई से लागू करना चाहिए। इससे होने वाले राजस्व की हानि की भरपाई की चिन्ता न करके पूरे देश में नशाबन्दी लागू कर देना चाहिए। मादक पदार्थों के व्यवसाय में लिप्त व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं, अभिभावकों, शिक्षकों, धर्मगुरूओं की भी नशाखोरी रोकने में प्रभावी भूमिका हो सकती है। जब तक सब लोग मिल- जुल कर प्रयास नहीं करेंगें तब तक इस सामाजिक बुराई से मुक्ति नहीं मिल सकती है। लोगों की नशे की लत छुड़वाने के लिए बहुत से नशामुक्ति केन्द्र, परामर्श कार्यालय, गाँव- गाँव व शहर- शहर में अधिक से अधिक कैम्प लगाये जाने चाहिए। जिससे व्यक्ति जागृत हो और नशा छोड़ने पर मजबूर हो जाए और अपना खुशहाल जीवन जिये।

---

[34] राजस्थान राज्य बनाम परमानन्द और अन्य, ए०आई०आर०2014 एस०सी०1384

[35] कलेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य , (1999) 8 एस०सी०सी०257